छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक एफ 4–9 / खाद्य / 2011 / 29 /3987 रायपुर, दिनांक 20 अक्टूबर, 2011

प्रति,

1. **समस्त कलेक्टर,**
   छत्तीसगढ़

2. **महाप्रबंधक,**
   भारतीय खाद्य निगम
   छत्तीसगढ़ रायपुर

विषयः– खरीफ विपणन वर्ष 2011–12 में लेव्ही चावल उपार्जन के संबंध में ।

राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि खरीफ विपणन वर्ष 2011–12 के दौरान लेव्ही चावल उपार्जन का प्रतिशत पूर्व खरीफ विपणन वर्ष 2010–11 के अनुसार ही रहेगा । किंतु राज्य शासन के लिये लेव्ही चावल उपार्जन ऑप्शनल रखा गया है ।

शासन द्वारा उपार्जित धान की मिलिंग कराकर रखने हेतु ही गोदामों में भण्डारण स्थान की कमी लगातार कई वर्षों से बनी हुई है। वर्तमान में भारतीय खाद्य निगम तथा नागरिक आपूर्ति निगम के पास पर्याप्त मात्रा में चावल उपलब्ध भी है । अतः खरीफ विपणन वर्ष 2011–12 हेतु लेव्ही चावल उपार्जन की आवश्यकता होने पर शासन से पृथक से निर्देश जारी किये जायेंगे ।

2. सुपर फाईन किस्म का धान जो 2000 रूपये प्रति क्विंटल से अधिक लागत का हो, से बनने वाले चावल को लेव्ही से मुक्त रखा गया है ।

3. वर्तमान में भारत सरकार द्वारा गैर बासमती चांवल के निर्यात पर प्रतिबंध समाप्त कर दिया गया है। अतः प्रदेश के मिलर्स / ब्यौहारी के द्वारा चांवल का निर्यात किया जाना संभावित है। डॉयरेक्टर जनरल, विदेश व्यापार, भारत सरकार द्वारा दिनांक 09.09.2011 को गैर बासमती चावल के निर्यात के संबंध में जारी की गई अधिसूचना एवं केन्द्रीय उत्पाद, सीमा शुल्क एवं सेवा कर आयुक्त कार्यालय विशाखापटनम द्वारा जारी आदेश दिनांक 21.09.2011 की इंटरनेट से डाउनलोड की गई प्रति संलग्न है, जिसका अवलोकन करने का कष्ट करें। राईस मिलर / ब्यौहारी द्वारा चावल निर्यात करने के पूर्व जिला खाद्य कार्यालय को इसकी जानकारी

अनिवार्य रूप से दी जावे । राईस मिलर/ब्यौहारी द्वारा निर्यात किये जाने वाले चावल का निजी स्टाक संबंधी प्रमाणीकरण अथवा रिलिज आर्डर जिला स्तर से जारी किया जावे। खाद्य विभाग के अधिकारियों से चावल के निजी स्टाक का सत्यापन कराया जावे। तत्पश्चात प्राप्त रिर्पोट के आधार पर निजी चावल के स्टॉक का प्रमाणीकरण अथवा रिलीज आर्डर जारी करने हेतु जिला कलेक्टर अधिकृत हैं ।

4. राईस मिलर एवं ब्यौहारियों द्वारा पूर्व वर्ष अनुसार समस्त आवश्यक अभिलेखों का संधारण किया जाएगा एवं कलेक्टर द्वारा नियुक्त जांच अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर तत्काल प्रस्तुत किया जाएगा ।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार ।

(विवेक ढाँड)
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.विभाग

क्रमांक एफ 4–9/खाद्य/2011/29/3988 रायपुर, दिनांक 20 अक्टूबर, 2011

प्रतिलिपि –

1) सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कृषि भवन, नई–दिल्ली ।
2) प्रबंध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम, 16–20 बारह खम्बा लेन, नई–दिल्ली ।
3) सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर ।
4) निज सहायक, माननीय मंत्री, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर., रायपुर ।
5) आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, रायपुर ।
6) प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, रायपुर ।
7) प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन, रायपुर ।
8) महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, छत्तीसगढ़ रायपुर ।
9) राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. मंत्रालय, रायपुर ।
10) जनरल मैनेजर/डी.रिजनल मैनेजेर, रेलवे, रायपुर ।
11) अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ प्रदेश राईस मिलर्स एसोसिएशन, रायपुर ।

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.विभाग

केन्दीय उत्पाद, सीमा शुल्क एवं सेवा कर आयुक्त का कार्यालय
Office of The Commissioner of Central Excise, Customs & Service Tax
विशाखपट्टणम - II आयुक्तालय VISAKHAPATNAM - II COMMISSIONERATE
उत्पाद शुल्क भवन, पत्तन क्षेत्र, विशाखपट्टणम - 530 035
Central Excise Building, Port Area, Visakhapatnam - 530 035
Phone / Fax No : 0891 2781058
e-mail: systatvsp2@gmail.com

Public Notice No.19 /2011

Dated :: 21.09.2011

Sub::Export of non-Basmati rice in terms of DGFT Notification No 71 (RE-2010)/2009-2014 dated 09.09.2011 through Kakinada Port-Reg.

*****

Attention of CHAs/ Exporters is invited to the Notification No.71(RE-2010)/2009-2014 dt 09.09.2011 issued by the Directorate General of Foreign Trade permitting export of all varieties of non -Basmati rice subject to the restrictions that (i) such exports to be made by the private parties from privately held stocks and (ii) such exports shall be made through Customs EDI ports only.

For ensuring that the non-Basmati rice to be exported is from privately held stocks, the following procedure is prescribed by this Commissionerate.

I) All exporters of non-Basmati rice are required to obtain release orders/certificates from the respective District Collectors to the effect that the rice proposed to be exported is from privately held stocks.
II) All such exporters are required to produce the said orders/certificates to the Customs authorities at the time of export.
III) Failure to produce the said order/certificates would automatically bar the export.

(R.Shakuntala)
Commissioner

(Issued from file C.No.VIII/01/03/2011-Cus.Tech)

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड-(ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

उद्योग भवन

अधिसूचना सं0 71 (आरई-2010)/2009-2014

नई दिल्ली, दिनांक: 09 सितम्बर, 2011

विषयः गैर बासमती चावल के निर्यात पर रोक को हटाना।

सां.आ.(अ) विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 के पैरा 2.1 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, समय-समय पर यथा संशोधित निर्यात और आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण में निम्नलिखित संशोधन करती हैः-

2. अधिसूचना सं. 93 (आर ई-2007)/2004-2009 दिनांक 1.4.2008 के साथ पठित अधिसूचना सं. 38(आर ई-2007)/2004-09, दिनांक 15.10.2007 का अधिक्रमण करते हुए आईटीसी (एचएस) की अनुसूची 2 के अध्याय 10 में क्रम सं. 45क (प्रशुल्क कोड 10061010 को छोड़कर) पर प्रविष्टि के मद्दे तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं:-

क्रम सं.	प्रशुल्क मद एचएस कोड	इकाई	मद विवरण	निर्यात नीति	प्रतिबंध का स्वरुप
45क	100610 10061090 10062000 100630 10063010 10063090 10064000	किग्रा	गैर बासमती चावल	मुक्त	1. निजी तौर से रखे गए भण्डार से निजी पक्षों द्वारा किया जाने वाला निर्यात। 2. निर्यात केवल सीमा शुल्क ईडी आई पत्तनों के जरिए किया जाएगा।

3. इस अधिसूचना का प्रभावः

गैर बासमती चावल की सभी किस्में निजी तौर पर रखे हुए भण्डार से निर्यात के लिए मुक्त कर दी गई हैं। निर्यात केवल सीमाशुल्क ईडीआई पत्तनों के जरिए होगा।

(अनुप के. पूजारी)

महानिदेशक, विदेश व्यापार

ई-मेलः dgft@nic.in

(फाइल संख्या 01/91/180/775/एएम10/निर्यात प्रकोष्ठ से जारी)